SAM HIGGINBOTTOM UNIVERSITY OF AGRICULTURE, TECHNOLOGY AND SCIENCES
PRAYAGRAJ - 211007

दिनांक 03 फरवरी, 2025

प्रेस विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देगा शुआट्स

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 3830260(1)/2026–कृशिअ–67–1001(003) /29/2019 दिनांकित 03–02–2026 द्वारा शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा विश्वविद्यालय से हटाये गये 53 शिक्षकों की बहाली के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

शासन के उक्त आदेश के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त की गई तथा उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किये जाने का निर्णय लिया गया।

यह कि शुआट्स में सभी नियुक्तियां निर्धारित मानकों का पालन करते हुए स्टेट्यूटस में प्रावधानित नियमों के तहत की गई है। तथापि, नियुक्ति संबंधित समस्त अभिलेख एवं स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में शासन को उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

विश्वविद्यालय में कई विभागों में 90 प्रतिशत से अधिक सीटें रिक्त होने के कारण एवं गंभीर वित्तीय समस्याओं के मद्देनजर, स्टेट्यूटस में प्रावधानित नियमों के तहत शिक्षा परिषद, बोर्ड आफ मैनेजेन्ट तथा विश्वविद्यालय की सर्वोच्च संस्था सीनेट के अनुमोदन के उपरांत 10 विभाग को बंद करके 53 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की गई हैं। संबंधित विभाग में कोई एडमिशन नहीं लिया गया है। इन शिक्षकों के वेतन हेतु यदि उत्तर प्रदेश शासन से अनुदान स्वीकृत किया जाता है तो विश्वविद्यालय को बंद किए गए विभागों को पुनः खोलने में कोई आपत्ति नहीं है।

यह कि 53 प्राध्यापकों को हटाए जाने के संबंध में मामला मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उच्च न्यायालय के निर्णय के पूर्व उनकी पुनःनियुक्ति विश्वविद्यालय में किया जाना संभव नहीं है। तथापि, शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा विश्वविद्यालय को स्वीकार होगा।

(डा० रमाकांत दुबे)
चेयरमैन शुआट्स मीडिया कमेटी
शुआट्स प्रयागराज

Scanned with CamScanner